रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II —खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 538] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर, 25, 2013/कार्तिक 3, 1935
No. 538] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 25, 2013/KARTIKA 3, 1935

IndiaCode

शहरी विकास मंत्रालय

(एमआरटीएस-।।)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2013

सा.का.नि. 706 (अ).—केन्द्रीय सरकार मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यात्रियों के सार्वजनिक वाहन के लिए मेट्रो रेल का आरंभ, नियम, 2013 में संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम यात्रियों के सार्वजनिक वाहन के लिए मेट्रो रेल का आरंभ (संशोधन) नियम, 2013 है।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

1. यात्रियों के सार्वजनिक वाहन के लिए मेट्रो रेल का आरंभ नियम, 2013 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), में ''मेट्रो रेल सामान्य नियम, 2013'' शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर ''मेट्रो रेल सामान्य नियम, 2013'' शब्द और आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2. उक्त नियम के प्रारूप xvi में;

(क) मद (घ) में, ''मेट्रो रेल सामान्य नियम, 2012'' शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर ''मेट्रो रेल सामान्य नियम, 2013'' शब्द और आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) मद (ड.) में, ''यात्रियों के सार्वजनिक वाहन के लिए मेट्रो रेल का आरंभ नियम, 2012'' शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर ''यात्रियों के सार्वजनिक वाहन के लिए मेट्रो रेल का आरंभ नियम, 2013'' शब्द और आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. **उक्त नियम के परिशिष्ट 'क' में, उप-शीर्ष ''सिग्नल'' के अन्तर्गत क्र.सं. 1 में ''मेट्रो रेल सामान्य नियम**, 2012'' **शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर ''मेट्रो रेल सामान्य नियम, 2013'' शब्द और आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे।**

[**फा. सं. के-14011/**14**/2012-मेट्रो/एमआरटीएस-** II]

एस.के. लोहिया, विशेष कार्य अधिकारी एवं पदेन संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मुख्य नियमों को भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, **खंड 3, उपखंड** (i) **में शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 18 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 247 (अ) के तहत दिनांक 18 अप्रैल, 2013 को प्रकाशित किया गया है।**

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(MRTS-II)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2013

G.S.R.706(E). — In exercise of the powers conferred by Section 22 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government, hereby makes the following rules to amend the Opening of Metro Railways for Public Carriage of Passengers Rules, 2013, namely:—

1. (1) These rules may be called the Opening of Metro Railways for Public Carriage of Passengers (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Opening of Metro Railways for Public Carriage of Passengers Rules, 2013 (hereinafter referred to as the said rules), for the words and figures "Metro Railway General Rules, 2012" wherever they occur, the words and figures "Metro Railways General Rules, 2013" shall be substituted.

3. In Form xvi of the said rules,—

(a) in item (d), for the words and figures "Metro Railway General Rules, "2012", the words and figures "Metro Railways General Rules, 2013" shall be substituted;

(b) in item (e) for the words and figures "rules for opening of metro railways for public carriage of passengers, 2012" , the words and figures "rules for opening of metro railways for public carriage of passengers, 2013" shall be substituted.

4. In Appendix 'A' of the said rules, under the sub-heading "SIGNAL", in serial number 1, for the words and figures "Metro Railway General Rules, "2012", the words and figures "Metro Railways General Rules, 2013" shall be substituted.

[F. No. K-14011/14/2012-Metro/MRTS-II]

S.K. LOHIA, Officer on Special Duty and Ex. Officio Jt. Secy.

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 18th April, 2013 vide notification of the Government of India in the Ministry of Urban Development, number G.S.R. 247 (E), dated the 18th April, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.